संख्या :रैव0–बी0–एफ0(10)842/2005
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

औसीयन आरगेनाईजेशन फार कैरियर एजुकेशन
एण्ड अन्वायरमैंटल अवेयरनैस इन नेक्सट जनरेशन,
बजरिया श्री वलविन्द्र सिंह पठानिया, महासचिव,
निवासी गांव व डा0 दरगेला, तहसील शाहपुर,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला–171002 21 जनवरी ,2006

विषय :– औसीयन आरगेनाईजेशन फार कैरियर एजुकेशन एण्ड अन्वायरमैंटल अवेयरनैस इन नेक्सट जनरेशन, शाहपुर द्वारा बी0 एड शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु भूमि पट्टे पर हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे उपायुक्त, कांगड़ा के कार्यालय पत्र संख्या एल0आर0बी0–एस–118(488)/05–2291, दिनांक 20–8–2005 द्वारा प्राप्त आपके प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप–धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज,1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (ई) के अर्न्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपके पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 649/2 व 654/3 रक्बा तादादी 0–30–72 है0 का 2880 भाग रक्बा वकदर 0–28–80 है तथा खसरा संख्या 755 रक्बा तादादी 0–58–66 है0 का 2120/5886 भाग रक्बा वकदर 0–21–20 है0 कुल किता–3 रक्बा तादादी 0–50–00 है0 स्थित मौजा वसनूर, महाल वागड़ू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में निम्नलिखित शर्तों पर बी0 एड शिक्षा संस्थान स्थापित करने हेतु 30 वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी ।
2. पट्टे पर प्राप्त भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षों की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है। यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि भूमि का केता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आवंटन /लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा ।
4. इस स्वीकृति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का केता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा ।
5. क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की स्टैम्प शुल्क वर्तमान बाजारी कीमत पर केता से वसूल की जायेगी ।

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला–2 जनवरी ,2006

प्रतिलिपि उपायुक्त, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को उनके उक्त वर्णित पत्र के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस विभाग के पत्र संख्या रैव0–बी0–एफ0(10)187/2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षों की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

उप सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।